न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी– श्री गंगाधर मीणा आर.ए.एस.

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
36 / 2021	29.01.2021	11.12.2021

अनुवान

1. काशीराम
2. ओमकार उर्फ ओमप्रकाश पुत्रान झूंथाराम जाति अहीर निवासी पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र दौलता उर्फ दौलतराम जाति अहीर निवासी पहाडवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर, राजस्थान।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज अर्न्तगत
धारा 88,89 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री सुनील यादव अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रविन्द्र यादव अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण द्वारा एक वाद इस न्यायालय में इस आश्य का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी संख्या 373 / 0.48 हैक्टयर सालिम, 649 / 361 / 0.1200 है0 वाके ग्राम पहाडवास तहसील कोट[illegible] सं0 210 / 3 रकबा 0.1800 है0, 231 / 1 रकबा 0.2600 है0 कित्ता [illegible] रकबा 0.4400 है0, सालिम, ख0 सं0 397 / 0.2300 है0 का 1 / 2 भाग, 73 / 0.[illegible]00 है0 का 1 / 8 भाग ग्राम पहाडवास तहसील कोटकासिम स्थित है। चूंकि य[illegible] इस तथ्य का उल्ले[illegible]या जाना आवश्यक हो गया है कि ख0सं0 649 / 361 रकबा 0.1200 है0 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:06:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

पहाडवास गत ख0 सं0 361/1 रकबा 0.48 है0 से पैमुद हुए है। इसलिये विनिमय अभिलेख पत्र दिनांक 3.02.2020 लिखते वक्त ख0 सं0 361/1 रकबा 0.4800 है0 का 1/4 भाग दर्ज किया गया था। हाल आराजी ख0 सं0 373 रकबा 0.48 है0 सालिम एवं 361/1 रकबा 0.48 है0 का 1/4 भाग वादीगण की कब्जा काश्त आराजी है। जिसका राजस्व रिकोर्ड मे अमल हो रहा है। वादीगण ने उपरोक्त आराजी का एक विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तहरीर व तकमील कराया जाकर उक्त विनिमय विलेख पत्र उप पंजियक कोटकासिम के यहॉ 03.02.2020 को पंजिबद्व किया गया। इसी कदर हाल खसरा संख्या 210/3/0.1800 है0, 231/1/0.2600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4400 है0 सालिम खसरा संख्या 397 रकबा 0.2300 है0 का 1/2 भाग, 73/0.3500 है0 का 1/8 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के हक में एक विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 को वादीगण के हक मे तहरीर व तकमील उप पंजियक कोटकासिम के यहा कराया गया। तथा उक्त विनिमय विलेख पत्र के अनुसार ही मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने विभाजन मे आए खसरा संख्यान पर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर हम पक्षकारान का ही कब्जा है। उपरोक्त विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार मिन वादी अपने नाम का अमल दरामद कराने हेतु राजस्व अधिकारियान/कर्मचारियान हल्का पटवारी को दे दिया था। लेकिन राजस्व अधिकारियान/कर्मचारियान अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 14.01.2021 को दर्ज करने से साफ तौर से इन्कार कर दिया। इसलिए वाद पत्र लाजिम आया । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुताबिक विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार खातेदार घोषित करते हुए मिन वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 26.02.2021 को इकबाल जवाब पेश किया जिसमे अंकित किया कि मुताबिक वाद पत्र वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ती नही है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब मे अंकित किया कि पक्षकारान का [illegible] विवाद है इसमे राज0 सरकार का कोई हित निहित नही है। [illegible] अधिवक्ता वादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:06:48 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। [illegible] अपनी बहस में अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया और कहॉ कि उपरोक्त विवादित आराजीयात का दिनांक 03.02.2020 को विनिमय विलेख पत्र जो उप

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

पंजियक कोटकासिम के यहाँ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तस्दीक कराया के मुताबिक वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाल जवाब मे कोई आपत्ति नही की है और कहाँ है कि मुताबिक वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। दस्तावेजात विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 के अवलोकन व प्रतिवादी संख्या 1 के इकबाल जवाब के अवलोकन से वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विनिमय विलेख पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार वादीगण को हाल आराजी ख0 सं0 373/0.48 है0, सालिम, 649/361 रकबा 0.1200 है0 वाके ग्राम पहाडवास तह0 कोटकासिम एवं आराजी ख0 सं0 210/3 रकबा 0.1800 है0, 231/1 रकबा 0.2600 है0 किता 2 कुल रकबा 0.4400 है, सालिम, ख0 सं0 397 रकबा 0.2300 है0 का 1/2 भाग, ख0 सं0 73 रकबा 0.3500 है0 का 1/8 भाग ग्राम पहाडवास तह0 कोटकासिम से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या – 1 को हाल आराजी खसरा संख्या 373/0.48 है0 सालिम, 361/1 रकबा 0.48 है0 का 1/4 भाग वाके ग्राम पहाडवास तह0 कोटकासिम में वादीगण का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या– 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.21 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 11:06:48 IST
Reason: SelfAttested

(गंगाधर मीणा) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)
(राष्ट्रीय लोक अदालत)